डॉ बठला और छात्रा प्रिया सम्मानित

करनाल, (म.मो.): अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपने कार्यालय में सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग की राज्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत बठला मनोरोग अस्पताल के संचालक डॉक्टर जे.सी. बठला को 50 हजार रुपये का चेक पेशेवर उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि पुरस्कार तथा माता प्रकाश कौर श्रवण एवं वाणी विकलांग केंद्र में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया को 25 हजार रुपये का चेक देकर सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग महिला की श्रेणी में पुरुस्कृत किया।

पेंशन संशोधन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

करनाल, (जेके शर्मा) : रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने नगर निगम से रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की मांग को लेकर नगर निगम के गेट के बाहर चार घंटे धरना दिया। नगर निगम प्रशासन और सरकार से आह्वान किया गया कि जल्द से जल्द पेंशन संशोधन लागू किया जाए। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान सियानंद परोचा ने की।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्य मांग है कि एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में जल्द से जल्द संशोधन करके लागू किया जाए। नगर निगम में अधिकारी को प्रदेश सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला को ज्ञापन दिया गया।

बर्खास्त पीटीआई की सरकार को कोई परवाह नहीं

करनाल, (म.मो) : हरियाणा शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) संघर्ष समिति का धरना गुरुवार को जिला सचिवालय के सामने 172वें दिन भी जारी रहा। क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में कुलदीप राणा, राजेश कबीरपंथी, वीना रानी, मीना भारद्वाज व रीना देवी शामिल रहे।

इस मौके पर समिति के जिला प्रधान संदीप बलड़ी ने कहा कि धरने को लगभग 6 महीने हो गए हैं। इतना समय बीतने के बाद प्रदेश के पीटीआई शारीरिक मानसिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पीटीआई से जो वादा किया था उसे तुरंत निभाए और पीटीआई को शिक्षा विभाग में समायोजित करके स्कूल अलाट करें ताकि प्रदेश के सभी पीटीआई अपने परिवारों का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। एसकेएस के ब्लॉक करनाल प्रधान भाग सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की टालमटोल नीति के कारण पीटीआई को सड़कों पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। जल्द से जल्द इनकी नौकरी बहाल होनी चाहिए।

बिजली संशोधन बिल के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

करनाल, (म.मो): ऑल हरियाणा पॉवर कार्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बिजली संशोधन बिल 2020 और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इसमें शहरी यूनिट करनाल की ग्रिड व टीएल सब यूनिट एचयूपीएनएल करनाल की सब यूनिट शामिल थे। कर्मचारी एस्टेट अधिकारी एचयूपीएनएल आवासीय कालोनी राकेश रंगा के तानाशाही व अव्यावहारिक रवैये से भी नाराज हैं। राज्य उपप्रधान एन.पी. सिंह चौहान व सर्कल सचिव विशाल बनवाला और राजेंद्र राणा ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2020 अभी संसद में पारित होना है, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ सहित केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू करना शुरू कर दिया है। बिल के प्रावधानों के अनुसार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। राज्य कमेटी सदस्य चरण सिंह ढाकला व वरिष्ठ कर्मचारी सतीश मान, मुकेश जांगड़ा तथा राजेश कौशिक ने कहा कि सरकार कर्मचारी, किसान व मजदूर विरोधी नीतियां बना रही है।

एमसीएफ में सीएम घोषणा के सारे विकास कार्यों पर रोक

भाजपा के पार्षद हुए परेशान, झूठी घोषणाओं से चला रहे काम

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: कहां तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद जिले को स्वर्ग बनाने चले थे, कहां अब उन्होंने विकास संबंधी सभी घोषणाओं पर काम रोकने का निर्देश दिया है। नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के सूत्रों ने बताया कि खट्टर की घोषणाओं के आधार पर सभी वॉर्डों में चल रहे विकास कार्यों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इस फरमान भाजपा के पार्षद भी काफी दुखी हैं और जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं।

एमसीएफ सूत्रों के मुताबिक वॉर्ड 7 के पार्षद बीर सिंह नैन के इलाके में खट्टर की कई घोषणाओं पर काम होने थे लेकिन कमिश्नर ने विकास कार्य की फाइलों को लौटा दिया। अफसरों से कहा गया है कि सरकार ने फिलहाल सीएम की घोषणाओं पर हो रहे विकास कार्यों को रोकने का निर्देश दिया है। आगे ये विकास कार्य कब शुरू होंगे, इसे एमसीएफ के अफसर भी नहीं जानते। आमतौर पर ऐसे विकास कार्य नगर निगम को मिलने वाली ग्रांट पर निर्भर रहते हैं या फिर नगर निगम अपनी आमदनी में से तमाम विकास कार्यों के लिए पैसा निकालता है। फिलहाल नगर निगम फरीदाबाद कंगाली की हालत में है तो ऐसे में शहर के बाकी वॉर्डों के विकास कार्य प्रभावित होंगे। ये अलग बात है कि मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में घूम-घूमकर लोगों को टूटी सड़कें बनवाने का आश्वासन देते फिर रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। खुद मूलचंद शर्मा के निवासस्थान को जाने वाली सड़क की हालत बदहाल है।

चुनाव के समय की घोषणाएं

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में सीएम खट्टर की जिन घोषणाओं पर एमसीएफ ने काम रोका है, उनमें ज्यादातर वे घोषणाएं हैं जो खट्टर ने 2019 में चुनाव से पहले जगह-जगह की थीं। इनमें सबसे ज्यादा घोषणाएं सारन, डबुआ कॉलोनी, पर्वतीया कॉलोनी, आदर्श नगर, ऊंचा गांव और बल्लभगढ़ के आसपास के अन्य गांवों में पेयजल सप्लाई और सीवर समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर थीं। अब जबकि सरकार का दोबारा गठन हुए एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है और 2020 भी खत्म होने को है तो किसी भी इलाके में पेयजल के लिए ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू नहीं हो सका। पिछले दिनों सेक्टर 55 के इलाके में पानी न आने पर सोहना रोड पर जनता ने जाम लगा दिया। इस इलाके में भाजपा नेताओं ने चुनाव के समय ही पेयजल पहुंचाने का आश्वासन दिया था।

फरीदाबाद और गुड़गांव के नगर निगमों की कंगाली मिटाने और नए विकास कार्यों को शुरू कराने के लिए पैसा जुटाने की मकसद से कुछ गांवों को नगर निगम में शामिल करने की योजना पर भी पानी फिर गया है। इस योजना के खिलाफ दोनों जिलों में प्रभावित गांवों के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद प्रदेश सरकार सबकुछ भूलकर उस आंदोलन को दबाने में जुट गई। आंदोलन का दबाव इतना बढ़ा कि कुछ जगहों पर भाजपा नेताओं को आश्वासन देना पड़ा कि बिना गांव वालों की मर्जी के उनके इलाके के गांवों को शहर में शामिल नहीं किया जाएगा।

बहुत कुछ रोक चुकी है सरकार

फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में खट्टर की घोषणाओं पर होने वाले विकास कार्यों को रोके जाने से भी बहुत पहले मुख्यमंत्री खुद एक साल तक नई भर्ती पर रोक लगा चुके हैं। करीब आठ महीने पहले खट्टर ने आदेश जारी कर भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगा दी। हालांकि इसके बाद राज्य में प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवकों को 75 फीसदी आरक्षण देने जैसा तुगलकी फरमान जारी हो चुका है, लेकिन खट्टर खुद भूल गए कि अप्रैल में भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगाने जैसी घोषणा वह खुद ही कर चुके हैं। सरकार की आर्थिक बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पर्यटन निगम और कुछ अन्य विभागों में तीन महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है।

किसानों के समर्थन में कर्मचारी संघ सड़कों पर उतरा

करनाल. (जेके शर्मा) : सीएम सिटी में कर्ण पार्क से कमेटी चौक तक सर्व कर्मचारी संघ ने अन्नदाताओं के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी कर्ण गेट बाजार में सरकार की पोल खोलते नजर आए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की अगुआई जिला प्रधान मलकीत सिंह व सचिव इंद्रजीत ने की।

मुख्य वक्ता राज्य कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण शर्मा, मलकीत सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानून पहले से ही घाटे में चल रही खेती व किसानी को बर्बाद कर देंगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों और विदेशी पूंजी के लिए खेती के दरवाजे खोलने वाली केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर इन कानूनों को किसी भी हालत में वापस नहीं लेना चाहती। अब इन्होंने किसान आंदोलन को बिचौलिये दलालों का आंदोलन कहकर बदनाम करना भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, पहले कानून से मंडी व फसलों की सरकारी खरीद चौपट हो जाएगी और प्राइवेट कंपनियों को मनमर्जी के दामों पर कृषि उत्पाद खरीदने की छूट मिल गई है। दूसरे कानून से बड़ी-बड़ी कंपनियों को हजारों लाखों एकड़ जमीन ठेके पर लेने की इजाजत दी गई है। इसके अनुसार किसान को कंपनियों की मर्जी की फसल बोनी होगी। भाव को लेकर कंपनी के मुकर जाने पर किसान अदालत में नहीं जा सकेंगे। इससे छोटे किसान जो आज जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं, वो खत्म हो जाएंगे व किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा। तीसरे कानून ने जमाखोरी करने पर अब तक जो रोक लगी थी वह हटा दी है।

इससे बड़े व्यापारी किसान से उसके उत्पाद सस्ता खरीदकर गोदामों में रखेंगे और जमाखोरी द्वारा चीजों की फर्जी कमी पैदा करके मनमर्जी के रेटों पर बेचते हुए कालाबाजारी करेंगे।

इस मौके पर नरेश, महिंदर, अंकित राणा, भाग सिंह, रमेश हुड्डा, सेवा राम, सतपाल, सचिव धर्मवीर जांगड़ा, रंग लाल संधू, कुलदीप राणा, जसवीर, ऋषि पाल, सुरेश, रामकुमार, रामसिंह, रमेश, राजकुमार, वाईपी यादव, बलराज, अनिल सैनी, जगतार सिंह व कृष्ण निर्माण ने कर्मचारियों को संबोधित किया।